



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072025-264398
CG-DL-E-05072025-264398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947

No. 401]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 444(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार **सिक्किम** सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "सिक्किम" शीर्षक के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“सिक्किम

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ झूटी पद	27
	सरकार के मुख्य सचिव	1
	अपर मुख्य सचिव	1
	प्रधान सचिव	4
	आयुक्त-सह-सचिव	8
	सरकार के सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	9
	जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर	4
1	कुल वरिष्ठ झूटी पद	27
2	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपरोक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं होंगे	10
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपरोक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं होंगे	06
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपरोक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	01
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पदआरक्षित (रिजर्व) उपरोक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं होंगे	04
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के तहत, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदउपरोक्त मद 1,2,3 व 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं होंगे	14
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5-6)	34
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	48”

[फा.सं. 11031/03/2024- अ.भा.से.-II (क)]

भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, सिक्किम भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का कुल प्राधिकृत कार्यबल, 48 था।

टिप्पणी 2: प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, भारतीय प्रशासनिक सेवा सिक्किम संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधन किए गए थे:-

क्रम सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्रम सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1.	404 अ	16.06.76	8.	739 अ	31.12.97
2.	419	08.05.82	9.	367 अ	19.05.99
3.	123	15.02.86	10.	224	09.07.05
4.	190	26.03.88	11.	79 अ	08.02.08
5.	872	12.11.88	12.	188 अ	24.03.09
6.	237	15.05.93	13.	688अ	19.08.2010
7.	319 अ	31.03.95	14.	658(अ)	25.08.2015

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2025.

G.S.R. 444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Sikkim**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2025.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading “**Sikkim**” and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

“Sikkim

	Senior Duty Posts under the State Government	27
	Chief Secretary to the Government	1
	Additional Chief Secretary	1
	Principal Secretary	4
	Commissioner-cum-Secretary	8
	Secretary to Government/Joint Secretaries/Deputy Secretaries	9
	District Magistrate and Collector	4
1.	Total Senior Duty Posts	27
2.	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	10

3.	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	06
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	01
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of item 1 above	04
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of The Indian Administrative Service(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of item 1,2,3 & 4	14
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	34
	TOTAL AUTHORIZED STRENGTH	48"

[F .No. 11031/03/2024- AIS-II (A)]

BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Sikkim Cadre was 48.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the West Bengal Cadre by the following GSR No. and date:-

S.No.	G.S.R. No.	Date	S.No.	G.S.R. No.	Date
1.	404 E	16.06.76	8.	739 E	31.12.97
2.	419	08.05.82	9.	367 E	19.05.99
3.	123	15.02.86	10.	224	09.07.05
4.	190	26.03.88	11.	79 E	08.02.08
5.	872	12.11.88	12.	188 E	24.03.09
6.	237	15.05.93	13.	688E	19.08.2010
7.	319 E	31.03.95	14.	658(E)	25.08.2015